भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 274

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

पुराने बांध

274. प्रो. सौगत राय:
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सदी पुराने बांधों की क्षति के बारे में चिंतित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मौजूदा सदी पुराने बांधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बांधों की संरचना और मजबूती की सुरक्षा के संबंध में अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में बांधों की सुरक्षा के संबंध में कोई आवधिक जांच की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) और (ग): जी, हां। केन्द्र सरकार देश में पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। हालांकि, बांध की आयु उसके स्थायित्व या संरचनात्मक विफलता की आशंका के लिए एक मात्र कारण नहीं है। इन महसंरचनाओं की आयु जब तक ये तकनीकी रूप से सुरक्षित एवं संचालनात्मक हैं तब तक की होती है।

इसके अतिरिक्त, बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, उनके संचालन एवं रख-रखाव समेत, प्राथमिक तौर पर बांध स्वामियों के पास होता है; जो कि मुख्यत: राज्य सरकारें और केंद्र/राज्य पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं। बांध सुरक्षा मूल्यांकन, रख-रखाव, मरम्मत एवं नवीकरण से संबंधित विवरण संबंधित बांध स्वामियों के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आमतौर पर बांध के स्वामी आवधिक प्री-मानसून और मानसून के बाद के निरीक्षण हेतु बांधों की सुरक्षा लेखा परीक्षा स्वयं ही कार्यान्वित करते हैं।

केंद्र सरकार ने बांध विफलता संबंधी आपदाओं की रोकथाम के लिए देश के सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव प्रदान करने के इरादे से बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए) 2021 बनाया है। डीएसए-2021 के प्रावधानों के अनुसार, नवगठित 29 राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के अपनी बांध सुरक्षा इकाईयों के माध्यम से अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों का प्री-मानसून और मानसून के बाद निरीक्षण किया है।
भारत सरकार ने बांधों की सुरक्षा और संचालनात्मक प्रदर्शन सुधारों के लिए बाहरी निधियन के साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) कार्यान्वित किया है। विश्व बैंक द्वारा पोषित ड्रिप चरण-I कार्यक्रम के तहत, जिसे अप्रैल, 2012 से मार्च, 2021 के दौरान कार्यान्वित किया गया; सात राज्यों में स्थित 223 बांध और इस कार्यक्रम के तहत शामिल करने हेतु प्राथमिकृत किया गया; उनका व्यापक रूप से ऑडिट और पुनर्वास कर दिया गया है। इन 223 बांधों में से, 2 बांध 100 वर्षों से कार्यान्वयन के तहत है। वर्तमान में इस परियोजना का चरण-II कार्यान्वयन-अधीन है।

(ख): परियोजना/बांध प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना पर आधारित केंद्रीय जल आयोग द्वारा संकलित बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (2019 संस्करण) के अनुसार, 227 बड़े बांध जो कि 100 वर्षों से अधिक पुराने हैं (वर्ष 1921 में या उससे पहले निर्मित)। इन बांधों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ङ): 'जल' राज्य का विषय है, चेक बांधों समेत जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रख-रखाव (जो कि प्राथमिक रूप से मृदा संचयन और जल पुन: भरण हेतु लघु संरचना है) प्राथमिक रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। चेक बांधों से संबंधित सूचना, उनकी कार्यक्षमता एवं उनकी मरम्मत इत्यादि संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

******

अनुलग्नक

"पुराने बांध" के संबंध में दिनांक 08.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 274 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) 2019 के अनुसार 100 वर्ष पुराने बांधों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**100 वर्षों से अधिक पुराने बांधों की संख्या (वर्ष 1921 में या उससे पहले निर्मित)**
1.	अदमान और निकोबार	-
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	-
4.	असम	-
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ	7
7.	गोवा	-
8.	गुजरात	30
9.	हरियाणा	-
10.	हिमाचल प्रदेश	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0
12.	झारखंड	0
13.	कर्नाटक	15
14.	केरल	1
15.	मध्य प्रदेश	62
16.	महाराष्ट्र	42
17.	मणिपुर	-
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	-
20.	नगालैंड	-
21.	ओडिशा	3
22.	पंजाब	0
23.	राजस्थान	25
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	1
26.	त्रिपुरा	-
27.	उतार प्रदेश	17
28.	उत्तराखंड	0
29.	पश्चिम बंगाल	0
30.	तेलंगाना	18
	कुल	**227**

*****